

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित
प्रार्थी
आगरा।
प्रार्थना पत्र संख्या व
दिनांक
प्रार्थी की ओर से

श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
सर्वश्री श्री सराफा कमेटी (रजि०), श्री सराफा धर्मकाँटा, चौबे जी का फाटक, किनारी बाजार,
035 / 11, 25.04.2011
कोई उपस्थित नहीं हुआ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री श्री सराफा कमेटी (रजि०), श्री सराफा धर्मकाँटा, चौबे जी का फाटक, किनारी बाजार, आगरा द्वारा दिनांक 25.04.2011 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के नियम 44 (2) के द्वितीय Proviso में प्रयुक्त Single Unit शब्द की व्याख्या करते हुए जिज्ञासा व्यक्त की गयी है कि “ 1 Kg. Gold Bar तथा 30 Kg. Silver Bar नामक दोनों बुलियन बार सिंगल यूनिट के अन्तर्गत आयेंगे अथवा नहीं। “

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी। अन्तिम नोटिस दिनांक 16.08.2012 के लिए भेजी गयी। किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रश्नकर्ता सर्वश्री श्री सराफा कमेटी (रजि०) व्यापारियों का एक संगठन है। इनके द्वारा कोई व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं की जाती है और न ही ये किसी प्रकार से पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं अतः उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत person or dealer concerned न होने के कारण अधिनियम के अन्तर्गत वे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में विहित प्राविधानों से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकता है जब तक वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से व्यापारिक गतिविधि न कर रहा हो। प्रार्थी सर्वश्री श्री सराफा कमेटी (रजि०), श्री सराफा धर्मकाँटा, चौबे जी का फाटक, किनारी बाजार, आगरा द्वारा स्वयं कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जा रही है और न ही वह पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं। ऐसी स्थिति में वह person or dealer concerned नहीं हैं। अतः उक्त एसोसियेशन प्रश्न पूछने के लिए पात्र नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

5. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई० टी० अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 12 मार्च, 2014

ह० / 12.03.2014
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।